मु.नं.–37 / 2021 GCMS ID-2021/68 ता.रजु–24.05.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

राजेश कश्यप (आर.टी.आई. कार्यकर्ता) निवासी भगवती नगर, हिण्डौन सिटी, जिला करौली (राज.) – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन सिटी – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय दिनांक–26.08.2021

1. वैश्विक महामारी कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने की व्यवस्थाओं में एवं प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी को दिनांक 09.06.2021, 16.06.2021, 23.06.2021, 30.06.2021, 07.07.2021, 14.07.21, 22.07.21, 29.07.21, 05.08.21, 18.08.21, 25.08.21, 26.08.21 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर (1) उनके द्वारा दिनांक (स्पष्ट पठनीय नहीं) को दिये गये प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाहियों एवं दर्ज करायी गई एफ.आई.आर. की प्रति, (2) आप अपनी पोस्टिंग के दौरान कितनी बार, कहाँ–कहाँ, कब–कब, किन–किन कारणों से, किन–किन दिनांकों को ए.पी.ओ. हुए, नियमानुसार बहाल कब हुए, किस अधिकारी के आदेश व निर्देशों के अंतर्गत हुए, सभी आदेश व निर्देश मय कार्मिक सरकुलर सहित सभी रिपोर्टों की प्रमाणित प्रति आदि कुल 2 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
4. प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर पेश कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 16.04.2021 को प्राप्त होने पर अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोकहित से संबंधित नहीं होने के कारण सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं था जिसकी सूचना अपीलार्थी को उनके पत्रांक 89 दिनांक 19.04.2021 द्वारा प्रेषित कर दी गई। चाही गई सूचना का बिन्दुबार विवरण निम्नानुसार है–(i) प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर किसी भी प्रकरण में उनके कार्यालय द्वारा कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करायी गई है। (ii) चाही गई सूचना उनके कार्यालय में संकलित नहीं की जाती है तथा सूचना व्यक्तिगत है जिसका लोकहित से कोई संबंध नहीं है। स्थानांतरण / पदस्थापन आदि की सूचना डी.ओ.पी. की बेवसाईट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। अंत में अपील, अपीलार्थी को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी द्वारा अपने विनिश्चय से अपीलार्थी को अवगत करवा दिया गया है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार पेश नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद वह इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। इससे विदित होता है कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी द्वारा किये गये विनिश्चय से संतुष्ट है। अतः अपील, अपीलार्थी, खारिज किया जाना उचित है।
7. अस्तु अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।
8. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, करौली